न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 20 / 2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मीरू पुत्र श्री वाला जाति मोसला निवासी किवरली के कायम मुकाम–
   - 1.1 श्री बाबूखां पुत्र श्री हमीर खां जाति मोसला निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.2 सुश्री रोशन बानो पुत्री श्री हमीर खां जाति मोसला निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.3 सुश्री झीथरा बानो पुत्री हमीर खां जाति मोसला निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.4 श्रीमती चौथी पत्नि श्री हमीर खां जाति मोसला निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.5 श्री खाजू खां पुत्र श्री सुल्तानखां जाति मोसला निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 1.6 श्री हमीपु खां पुत्र श्री सुल्तानखां जाति मोसला निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 1.7 सुश्री जैतुन पुत्री श्री सुल्तानखां जाति मोसला निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
   - 1.8 सुश्री अमीना पुत्री श्री सुल्तानखां जाति मोसला निवासी मण्डवाडा तहसील सिरोही जिला सिरोही।
   - 1.9 सुश्री जुनैदा पुत्री श्री सुल्तानखां जाति मोसला निवासी रानी ग्राम पंचायत रानी जिला पाली।
   - 1.10 श्रीमती नैनु पत्नि श्री सुल्तानखां जाति मोसला निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा अनुपस्थित।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 21.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इ[illegible] है कि प्रार्थी [illegible] आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मदरला पटवार [illegible] आमथला, तह. आ[illegible]मान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 98 रकबा 5.0[illegible] बीघा किस्म नहरी–1 है [illegible] संवत 2029–2048 की मिसल बन्दोबस्ती में श्री मीरू पुत्र श्री वाला कौम मोसला साकिन किवरली गैर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खातेदार दर्ज है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1.1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या 1.2 से 1.8 एवं 1.10 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा ने अण्डरटेंकिग दी एवं अप्रार्थी संख्या 1.9 की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी गई। अतः अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 98 रकबा 5.05 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री मीरू पुत्र श्री वाला को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 98 रकबा 5.05 बीघा किस्म नहरी–1 है, जो संवत 2029–2048 की मिसल बन्दोबस्ती में श्री मीरू पुत्र श्री वाला कौम मोसला साकिन किवरली गैर खातेदार दर्ज है। यह है कि पटवारी हल्का आमथला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी श्री मीरू पुत्र श्री वाला का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर भी प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का आवंटन बनाए रखना विधि संगत नही होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 98 रकबा 5.05 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner